

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर



क्रमांक: भण्डार स्वच्छता/निविदा/2021/

दिनांक:

2021-22

सफाई कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध कराने बाबद् ई-निविदा विज्ञप्ति।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के विभिन्न भवनों (छात्रावासों सहित), परिसरों एवं आवास परिसरों की सफाई हेतु सफाई कर्मियों (लगभग 120) की सेवाएं उपलब्ध कराने बाबद् अभिकरणों से ई-निविदाएं (Two Bid Tender System परिशिष्ट 'अ'-'ब') आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण, निविदा की शर्तों एवं निविदा प्रपत्र mptenders.gov.in से डाउन लोड की जा सकती है। तथा यह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेब साईट www.dauniv.ac.in पर भी देखा जा सकता है निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का मूल्य रुपये 2,000/- (अक्षरी राशि रु. दो हजार मात्र) है।

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरंभिक तिथि | : | 15.03.2021 |
| 2. निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि | : | 05.04.2021 |
| 3. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | : | 07.04.2021 |

निविदा (Two Bid Tender System परिशिष्ट अ-ब), उपस्थित निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष गठित समिति द्वारा खोले जावेंगे। जिसकी तिथि एवं समय पृथक से सूचित किया जायेगा। निविदाकारों से अनुरोध है, कि धरोहर राशि एवं टेण्डर फीस के भुगतान का साक्ष्य निर्धारित PDF में अपलोड करना आवश्यक है। सामान्य जानकारी तथा तकनीकी बीड से सम्बन्धित कागजात **online** प्रस्तुत किये जाने है तथा जो **online** प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं, उक्त कागजातों की प्रतियाँ कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, प्रशासकीय भवन, आर.एन.टी.मार्ग, इन्दौर पर दिनांक 07.04.2021 तक कार्यालयीन समय में सीलबन्द कर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। डाक वितरण (Postal Delays) में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र के माध्यम से नहीं किया जावेगा, यह केवल वि.वि.की वेबसाईट www.dauniv.ac.in पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

कुलसचिव

निविदाकारों के लिए सामान्य अनुदेश एवं निविदा की शर्तें

1. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के समस्त, नालंदा, तक्षशिला, आई.ई.टी., फार्मैसी, समस्त छात्रावासों एवं परिसरों में सफाई हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से सफाई कर्मियों की सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु एक प्रतिष्ठित सुस्थापित व आर्थिक रूप से सुदृढ़ अभिकरण की आवश्यकता है। समस्त कर्मियों की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए इस सम्बंध में खुली ई-निविदा जो निम्नानुसार टू बीड प्रणाली पर आधारित होगी। निविदाकार अभिकरण निम्नांकित दस्तावेजों/अभिलेखों की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियाँ संलग्न करें :-
(क) वाणिज्यिक शर्त और निबंधन के साथ सभी तकनीकी ब्यौरे वाली तकनीकी बीड परिशिष्ट 'अ'-परिशिष्ट तकनीकी बीड मान्य होने पर ही फर्म की वित्तीय बीड पर विचार किया जावेगा।
(ख) परिशिष्ट- 'ब' वित्तीय बीड जिसमें तकनीकी बीड में उल्लेखित सेवाओं को प्रदान करने के लिए दर दर्शाई गई हो।
2. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में राशि रु. 4,00,000 /- राशि का निविदा के साथ भुगतान कराना होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु 2000 /- (रु. दो हजार मात्र) निविदा प्रपत्र के मूल्य mptenders.gov.in पोर्टल पर e पेमेन्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा सफाई हेतु अपेक्षित सेवाओं के अंतर्गत :-
(अ) समस्त परिसरों में स्थित खुला स्थान एवं समस्त विभागों, प्रशासनिक कार्यालयों, शिक्षकों के कक्ष, कक्षाएं, आडिटोरियम कान्फ्रेंस हॉल समस्त टायलेट, गलियारें, सिव्ज लाईनों, शैक्षणिक विभागों, प्रशासकीय विभागों, छात्रावासों, वर्कशापें पुस्तकालयों, एवं आवास परिसरों इत्यादि की सफाई।
(ब) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों एवं प्रशासकीय कार्यालयों के कार्यालयीन समय भिन्न भिन्न हैं। अतः सफाई कर्मियों की संख्या एवं सफाई कार्य समय विश्वविद्यालय द्वारा तदनुसार निर्धारित किया जावेगा।
(स) प्रसाधनों की स्वच्छता व्यवस्था दिन में तीन बार की जाना होगी तथा प्रत्येक प्रसाधन केन्द्र पर कार्य की लागत बुक अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। इसी प्रकार छात्रावासों एवं आवासीय परिसरों में सफाई का कार्य अवकाश के दिवसों में भी अनिवार्य रूप से सम्पादित करना होगा।
(द) उपरोक्त कार्यों से संबंधित सफाई कर्मियों, अन्य सहायक सेवायें, सफाई हेतु सामग्री जैसे-साबुन, फिनाईल एवं समस्त सफाई सामग्री यंत्रों आदि की व्यवस्था विस्तृत विवरण परिशिष्ट ('स') संलग्न के अनुसार स्वयं अभिकरण को करना होगी। सामग्री की लागत/संख्या परिशिष्ट 'स' में दर्शाई गई सामग्री/स्पष्ट विवरण के अनुसार सामग्री की मात्रा का औचित्य होना चाहिए जिससे परिसरों का सफाई कार्य संतोषप्रद एवं उच्च कोटी का हो सके। अतः सामग्री की दरें स्टैंडर्ड हाउसकीपिंग गाइडलाईन्स के अनुसार सफाई दरों के अनुपात में होना चाहिए। उक्त स्टैंडर्ड से कम दरें दर्शाए जाने पर निविदाकार की निविदाएं निरस्ती योग्य होगी। अतः निविदाकार को परामर्श है कि वे विश्वविद्यालय के परिसरों का अवलोकन कर सकते हैं।
4. कचरा, मलवा उठाना एवं उसे इकट्ठा कर नियत स्थल पर डाला जाना एवं उसे एक निश्चित समय/अंतराल में निर्धारित स्थल पर पहुंचाना। इस कार्य के लिए अभिकरण को वाहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। परिसर में कचरा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। साफ-सफाई का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। शिकायतें प्रमाणित होने पर समिति द्वारा निर्धारित दण्ड राशि निविदाकर्ता/अभिकरण द्वारा देय होगी। इस कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था अभिकरण को स्वयं करनी होगी।

5. निविदा स्वीकार किये जाने पर संबंधित अभिकरण को अर्थात् सफल निविदाकार को, जो अब अनुबंधकर्ता कहलाएगा को स्वीकार किये गये निविदा मूल्य पर एक वर्ष की 5 प्रतिशत राशि परफारमेंस ग्यारंटी के रूप में जमा करना होगा। परफारमेंस ग्यारंटी निम्नलिखित में से किसी रूप में हो सकती है :- बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट। किसी राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक का एफ.डी.आर.। विहित प्रपत्र में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या किसी अन्य अनुसूचित बैंक की अहस्तातरणीय बैंक ग्यारंटी बॉण्ड। ग्यारंटी अनुबंध समाप्ति के लिए विहित दिनांक तक वैध रहेगी।
6. क्रमांक 3 (अ) में वर्णित कार्यालय परिसरों की विभिन्न परिसंपत्तियों की स्वच्छता के दौरान सामान्य सुरक्षा का ध्यान रखना एवं स्वच्छता के दौरान किसी परिसंपत्ति के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता अभिकरण की होगी।
7. निविदाकर्ता अभिकरण को निविदा के साथ निम्नलिखित कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं जिसे परिशिष्ट 'अ' में अनिवार्य रूप से भरा जावे।

(अ) पेन/जी.आई.आर कार्ड की प्रति।

(ब) विगत तीन वर्षों में दाखिल किये गये आयकर विवरणी की प्रति (अभिकरण का गत तीन वर्षों का न्यूनतम वार्षिक Turn Over 1 करोड़ होना चाहिये)। विगत तीन वर्षों के दौरान तीन वर्षों की आडिटेड बेलेन्सशीट। गत तीन वर्ष का वार्षिक न्यूनतम टर्न ओवर कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। इस आशय का (C.A.) का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(स) सेवा प्रदाय करने वाली फर्म/अभिकरण को लोक उद्यम और किसी शासकीय संस्थान, निगम/मंडल में कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये तथा निविदा प्रस्तुत करते समय 50 सफाई कर्मियों के कार्यरत होने एवं उनके दिसम्बर 2020 तक ESIC/PF-ECRS के अंशदान भुगतान किए गए हो का प्रमाण पत्र संलग्न करें। अंशदान भुगतान का प्रमाण-पत्र एवं इन्ही तीन वर्षों की (C.A.) द्वारा प्रमाणित आडिटेड रिपोर्ट की प्रतिलिपी संलग्न करना अनिवार्य है।

(द) इन्दौर में कार्यालय होने का प्रमाण पत्र।

(य) ISO 9001 -2015 Quality Standard of Work Certificate. जिसकी जारी होने की तिथि कम से कम तीन माह पूर्व की हो।

(र) अभिकरण ब्लेक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र रु. 1000/-के (Non judicial) नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर संलग्न करें।

(ल) फर्म के पास एक मुश्त 5 लाख वर्ग फिट में शासकीय संस्थानों/निगम/मण्डल में कार्य का अनुभव होना चाहिये।

(व) अभिकरण द्वारा प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जावेगा। परीक्षण पश्चात् दस्तावेजों में कोई असत्य जानकारी पाई जाती है तो अभिकरण की धरोहर राशि जप्त की जाकर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जावेगी।

(श) फर्म/अभिकरण को आगामी माह का भुगतान पिछले माह का (ECR) रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा ।

8. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे निरस्त कर दिया जाएगा। निविदा प्रपत्र में भरी गयी सभी प्रविष्टियां पठनीय एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। यदि सूचना देने में निविदा प्रपत्र में जगह की कमी हो तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है और उसे निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न किया जा सकता है। निविदाकर्ता वि.वि. परिसर/भवनों का अवलोकन कर सकते हैं।
9. निविदा के लिए सामान्य जानकारी, तकनीकी बिड एवं समस्त परिशिष्ट **online** अपलोड करना है , जो दस्तावेज अपलोड न किये जा सकते हों उन्हें स्पीड अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जा सकता है, वित्तीय निविदा आवश्यक रूप से **online** ही मान्य होगी।
10. अनुबंध प्रथमतः 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। कार्य एवं सेवाएं संतोषप्रद होने पर पूर्व में स्वीकृत दर एवं शर्तों के अनुसार पुनः 1 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। यह नवीनीकरण 1 वर्ष के लिए पुनः कार्य विवेचना के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा किन्तु किसी भी स्थिति में यह अनुबंध कुल 3 वर्षों से अधिक नहीं होगा। नई निविदा स्वीकृत होने तक अभिकरण को स्वीकृत दर पर कार्य करना होगा।
11. अनुबंध करने वाले अभिकरण को किसी अन्य अभिकरण को इस अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों एवं दायित्वों को अंतरित, समूह निर्देशित, प्रतिभूत करने की अनुमति नहीं होगी।
12. निविदाकार इस संस्थान को निविदा जमा करते समय या पश्चातवर्ती किसी स्तर पर दी गई सूचनाओं से आबद्ध होगा। यदि उसके द्वारा दिये गये दस्तावेज किसी स्तर पर गलत पाये गये तो यह माना जायेगा कि उसने अनुबंध की शर्तों को भंग किया है और इसके लिए उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी साथ ही निविदा को भी निरस्त किया जा सकेगा।
13. (क) कार्य आदेश उपरान्त विश्वविद्यालय में सफाई हेतु अभिकरण के सफाईकर्मियों की सूची प्रस्तुत करना होगी ।

(ख) स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कर्मियों के पूर्ववृत्ति से संबंधित सत्यापन प्रमाणपत्र।

14. यदि अभिकरण के कर्मियों द्वारा ऐसा कोई कार्य/लोप किया जाता है जो कदाचरण/अनुशासनहीनता/अयोग्यता की कोटि में आता हो तथा उससे सुरक्षा जोखिम में हो तो फर्म/अभिकरण को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध तुरंत उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी। यदि आवश्यक हुआ तो उसे कार्यस्थल से हटाना भी होगा। इस तरह की कार्यवाही प्रकरण संज्ञान में आने के एक दिन के समयावधि में करना होगी ।
15. निविदाकार अभिकरण को कर्मियों के पहचान पत्र जारी करना होगा। इस पहचान पत्र में कर्मियों के फोटोग्राफ व उनकी व्यक्तिगत सूचनायें यथा नाम, जन्मतिथि, आयु व पहचान चिन्ह इत्यादि होंगे ।
16. सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि विश्वविद्यालय में उसके कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यालय से संबंधित कोई जानकारी, कर्मिक प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था व प्रशासनिक/संगठनात्मक मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति/संगठन को नहीं दी जावेगी।

- 17 सेवा प्रदाय करने वाला अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मों विश्वविद्यालय परिसर में उचित आचार व्यवहार करें एवं शराब, पान, धूम्रपान का सेवन न करें एवं परिसर में बिना किसी काम के इधर-उधर न घूमें।
- 18 अभिकरण को आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक नियुक्त करना होंगे ऐसे नियुक्त किये गये पर्यवेक्षकों से संस्थान के संबंधित अधिकारी तुरंत सम्पर्क स्थापित कर सकें। जिससे अभिकरण के कर्मियों की सेवायें बिना किसी बाधा के ली जा सकें। पर्यवेक्षक का मोबाइल नंबर सूचित किया जाना होगा ताकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सूचित करने पर कार्य तत्काल पूरा किया जा सके।
- 19 चयनित अभिकरण को किसी सफाईकर्मों द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों से नौकरी छोड़ने पर उसके स्थान पर अन्य कर्मों तुरंत देना होगा। ऐसा करने में 3 दिन से अधिक का विलंब होने पर सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण से सेवा क्षतिपूर्ति वसूल की जावेगी जो प्रतिदिन 1000/-रूपये (प्रति प्रकरण) एवं अधिकतम अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत तक हो सकेगा।
- 20 सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके कर्मियों की आने-जाने की व्यवस्था, खाना, चिकित्सा व अन्य आवश्यकताएँ तथा वर्दी आदि की व्यवस्था करे। इस संबंध में विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभिकरण द्वारा प्रदाय किये गये साफ-सुथरी वर्दी को सफाईकर्मों धारण करेंगे। वर्दी में अभिकरण का नाम अंकित होगा। सफाई कार्य के अंतर्गत सफाई कर्मों के सुरक्षा आदि का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभिकरण का होगा। निविदाकार -अनुबंधकर्ता द्वारा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तीसरे पक्ष (Third Party) की बीमा पालिसी निम्नलिखित विवरण के साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा:-
 1. बीमा पालिसी विश्वविद्यालय एवं अनुबंधकर्ता के संयुक्त नाम से होना चाहिए जिसमें विश्वविद्यालय का नाम प्रथमतः होगा।
 2. पालीसी न्यूनतम 05 कर्मियों/कर्मचारियों/व्यक्तियों के लिए जिसमें प्रति व्यक्ति के लिए रु. 5 लाख की राशि किसी भी प्रकार की घटना /दुर्घटना का बीमा होना चाहिए।
 3. अनुबंधकर्ता का दायित्व होगा कि वह इस संबंध में की गई बीमा पालिसियों को कार्य पूर्ण होने तक जीवित रखेगा।
 4. अनुबंधकर्ता इस संबंध में कार्यदेश जारी होने के 10 दिवस की समयावधि में बीमा पालिसियों के कागजात आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।
- 21 वि. वि. में अभिकरण के सफाईकर्मों के लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत परिभाषित एवं अन्य सभी उद्देश्यों के लिए "सेवायोजक" सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण ही होंगे। इस तरह अभिकरण द्वारा विश्वविद्यालय में लगाये गये सफाईकर्मों का विश्वविद्यालय से नियोजक व सेवक अथवा मालिक व अभिकरण का संबंध नहीं होगा।
- 22 सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण अपने कर्मियों की शिकायतों-विवादों के निस्तारण के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे ऐसे किसी भी विवाद को निपटाने के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- 23 कार्य के दौरान अभिकरण के कर्मों को कोई वित्तीय नुकसान या अन्य कोई क्षति पहुँचती है तो किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- 24 अनुबंध के दौरान या उसकी समाप्ति पर विश्वविद्यालय के दैनिक, तदर्थ, नियमित/स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त/वेतन दिए जाने वाले भत्ते व अन्य सुविधायें के लिए अभिकरण कर्मियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- 25 अनुबंध की समाप्ति पर या उसे निरस्त किये जाने पर या अन्यथा की स्थिति में अभिकरण कर्मों को विश्वविद्यालय में न तो समायोजित होने अथवा न ही नियमित/अन्य रूप में समायोजित होने हेतु कोई छूट की पात्रता होगी।

- 26 अभिकरण, विश्वविद्यालय को सेवा प्रदान करने के एवज में इस संबंध में विद्यमान नियमों व विनियमों के तहत संबंधित कर सग्रहकर्ता प्राधिकारी को सभी करों उपकरणों इत्यादि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 27 लागू विधियों के अंतर्गत सभी पंजियो (रजिस्ट्रारों) के रख-रखाव की जिम्मेदारी अभिकरण की होगी। मांगे जाने पर विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारी को या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अभिकरण द्वारा उसे प्रस्तुत किया जावेगा।
- 28 स्रोत पर कर व शिक्षा उपकरण या अन्य कोई कर जो कि समय-समय पर लागू हो, आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार काटा जाएगा एवं इस आशय का प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय द्वारा अभिकरण को जारी किया जाएगा।
- 29 यदि निविदाकार अभिकरण उपयुक्त विधियों के अंतर्गत विधिक/आयकर दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है और उस कारण से विश्वविद्यालय को कोई नुकसान होता है या उसे आर्थिक या अन्य कोई क्षति पहुंचती है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि जितनी क्षति पहुंची है उतनी राशि की कटौती अभिकरण के बकाया भुगतानों/देयकों से या उसकी परफार्मेंस सिक्यूरिटी डिपॉजिट से समायोजित (Deduct) कर ले।
- 30 जो अभिकरण बोली में सफल नहीं होंगे उनकी धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के उन्हें वापिस कर दी जावेगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकृत नहीं हो पाती है। उन्हें जमा सुरक्षा राशि वापिस लेने कि अवधि एक वर्ष है। फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में वापसी (Refund) हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राशि वापिस न लेने पर जमा सुरक्षा राशि जप्त (राजसात) हो जावेगी।
31. निविदा स्वीकार किये जाने पर संबंधित अभिकरण को अर्थात् सफल निविदाकार को जो अब अनुबंधकर्ता कहलाएगा को स्वीकार किये गये निविदा मूल्य पर एक वर्ष की 5 प्रतिशत राशि परफार्मेंस ग्यारंटी के रूप में जमा करना होगी। परफार्मेंस ग्यारंटी निम्नलिखित में से किसी रूप में हो सकती है :— डिमाण्ड ड्राफ्ट, राष्ट्रीयकृत (अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक) बैंक का एफ.डी.आर. विहित प्रपत्र में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या किसी अन्य अनुसूचित बैंक की अप्रतिसहरीय बैंक ग्यारंटी बॉण्ड ग्यारंटी, निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा। निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा प्रतिभूति लौटाई जाएगी।
- 32 यदि सफल अभिकरण कार्यादेश जारी किये जाने के 15 दिवस की समयावधि में अनुबंध निष्पादित कर प्रारंभिक आवश्यकताओं के अनुरूप सफाई कर्मी नहीं लगाता है तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो बिना किसी सूचना के उसकी धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं अनुबंध निरस्त किया जाकर ब्लेक लिस्टेड घोषित किया जावेगा।
- 33 अभिकरण 3 प्रतियों में आगामी माह के प्रथम सप्ताह में अपना बिल आवक-जावक विभाग में प्रस्तुत करेगा। बिल के साथ अभिकरण के सफाई कर्मियों का उपस्थिति-पत्रक व पूर्व माह में कर्मचारी को दिए गए भुगतान के पत्रक भी प्रस्तुत करना होंगे। EPF & ESIC के चालान भी संलग्न किया जाना होंगे।
- 34 विवादों का निपटारा भारतीय मध्यस्थ एवं समझौता अधिनियम के तहत किया जायेगा।

- 35 विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों के कुएँ, ड्रेनेज लाईन एवं चेम्बर में मरे या फँसे हुए जानवर अथवा वस्तु को निकालने की जिम्मेदारी अभिकरण की होगी। वि.वि.से निकलने वाले कचरे का निस्तारण भी अभिकरण को करना होगा।
- 36 निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कुलसचिव को रहेगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा तथा उनका निर्णय सर्वमान्य रहेगा।
- 37 न्यायालयीन क्षेत्राधिकार इन्दौर रहेगा।

कुलसचिव

तकनीको बीड प्रपत्र

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर (म.प्र.) में सफाई कर्मियों की सेवाये उपलब्ध कराने बाबद ।

1. निविदादाता फर्म/अभिकरण का नाम : _____
(पंजीकरण के प्रमाणपत्र संलग्न करें)
2. फर्म/अभिकरण के मालिक/संचालक का नाम : _____
3. पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : _____

4. टेलीफोन नं. _____ फैक्स नं. _____
कार्य करने वाली शाखा का पूरा पता : _____

5. टेलीफोन नं. _____ फैक्स नं. _____
6. कम्पनी/फर्म/अभिकरण के बैंकर का नाम व पूरा पता : _____

7. बैंकर का टेलीफोन नं. _____ फैक्स नं. _____
8. पैन्/जी आई आर नं. : _____
(साक्ष्यांकित प्रति संलग्न करें)
9. सेवाकर पंजीकरण संख्या : _____
(साक्ष्यांकित प्रति संलग्न करें)
10. निविदादाता कम्पनी/फर्म/अभिकरण के विगत तीन वित्तीय वर्षों के आयकर विवरण
(यदि जगह अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें)

वित्तीय वर्ष	रु. (लाख में)	अभ्युक्ति, यदि कोई हो

सरकारी विभागों, लोक उद्यमों के लिए निविदादाता कम्पनी/फर्म/अभिकरण द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रारूपों में दिया जावे। कार्यादेश एवं सफल कार्य संपादन रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न की जावे। (अभिप्रमाणन उस संस्था के अधिशासी अधिकारी से नीचे स्तर के अधिकारी का नहीं होना चाहिये।)

क्रं.	संविभाग का नाम	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स	अनुबंध राशि (लाख में)	समय से	तक
1							
2							
3							

(यदि जगह अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें)

8. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो तो अलग से शीट संलग्न करें)

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तिथि :

स्थान :

नाम : _____
मोहर

विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में स्थित समस्त विभागों प्रशासनिक कार्यालयों शिक्षकों के कक्ष ,कक्षाएं , आडिटोरियम कान्फ्रेस हॉल, समस्त टायलेट, गलीयारें, सिवेज लाईनो की, शैक्षणिक विभागों, प्रशासकीय विभागों, छात्रावासों, वर्कशॉप पुस्तकालयों एवं आवास परिसरों इत्यादि की सफाई हेतु वित्तीय बीड।

फर्म का नाम : प्रोपराईटर/पार्टनर्स का नाम निविदाकर्ता :
 पता : फोन
 नम्बर/मोबाईल नम्बर : ई-मेल आई.डी. :

क्रं.	घटक (Components)	प्रति सुपरवाइजर (कुशल) की दर का विवरण (8 घंटे की ड्युटी के लिए)	प्रति सफाईकर्मी (Housekeeper) की दर का विवरण (8 घंटे की ड्युटी के लिए)
1	मूल वेतन की मासिक दर Monthly rates of Basic wages		
2	ई एस. आई सी. प्रति व्यक्ति E.S.I.C per person		
3	पी. एफ. प्रति व्यक्ति P. F. per person		
4	प्रति व्यक्ति वेतन का योग Total wages per person		
5	प्रति व्यक्ति प्रशासनिक/सेवा शुल्क Administrative/Service Charges per person		
6	प्रति व्यक्ति कुल लागत (योग) सरल क्रमांक 1 से 5 Total Cost Per Person (Figures) Sr. No.1 to 5		
7	योग Total		
8	प्रति माह प्रति सफाईकर्मी के द्वारा उपयोग होने वाली सामग्री के अनुसार कुल लागत Total Cost of material to be used in a month per person	-----	
9	निविदा की कुल राशि (04 सुपरवाइजर एवं 120 सफाई कर्मियों के लिए) Total Cost of Tender (04 Supervisor & 120 Housekeeper)		
10	Final cost of Tender		

- उपरोक्त विवरणिका के सरल क्रमांक 1,2,3 एवं 4 में दर्शाए गए न्यूनतम वेतन, वैधानिक उत्तरदायित्व शासन/संबंधित विधिक अभिकरण द्वारा प्रकाशित सूची/दरों के अनुसार होगा। दरों में संशोधन, शासन/संबंधित विधिक अभिकरणों द्वारा संशोधित किया जाने पर किया जा सकेगा। यद्यपि निविदाकार निविदा में जो दर प्रचलित हैं उसे ही दर्शाएँ।
- दरें, मासिक आधार पर (सेवा कर छोड़कर जिसे प्रचलित दरों के अनुसार भुगतान किया जाना होगा) संपूर्ण शुल्क सहित दर्शाई जावे।
 नोट : यदि दो या अधिक संस्थाओं की एक समान दर पायी जाती है तो जिस अभिकरण का श्रेष्ठ अनुभव रहेगा उसे ठेका देने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को रहेगा।
- शासन द्वारा **ESIC** कटौती, न्यूनतम वेतन एवं सेवा शुल्क एवं **GST** की प्रचलित दरों के आदेश की प्रमाणित प्रतियां वित्तीय बीड के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम व पता :

संस्था की सील

घोषणा

1. मैं/हम ----- पुत्र/पुत्री/पत्नी ----- उपरोक्त फर्म/अभिकरण के मालिक/संचालक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं इस निविदा पत्र को निष्पादित करने के लिए सक्षम हूँ/हैं ।
2. मैंने /हमने निविदा की सभी शर्तों को ठीक से पढ़ एवं समझ लिया है एवं उन्हें मानने के लिए वचन देता हूँ/देते हैं ।
3. उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं उसके साथ लगाये गये दस्तावेज मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं। मैं /हम इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ/समझते हैं कि यदि निविदा प्रपत्र में दी गई कोई भी सूचना गलत या लगाये गये दस्तावेज जाली पाये जाते हैं तो मेरे/हमारे निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मेरे/हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

तिथि :
स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :
मोहर

निविदा के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज का क्रम :

1. अभिकरण के पंजीकरण की साक्ष्यांकित प्रति।
2. पैन/जीआईआर कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति।
3. अभिकरण द्वारा पिछले तीन वर्ष में दाखिल किये गये आयकर विवरण की साक्ष्यांकित प्रति।
4. सेवाकर GST पंजीकरण प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रति।
5. अनुभव प्रमाण पत्र।

वित्तीय बीड का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जावेगा:—

1. निविदाकारो द्वारा निविदा में दर्शाई राशि (वेतन+PF+ESIC+सेवा शुल्क+सामग्री.) का पूर्ण विवरण(Breakup) दिया जाना आवश्यक है।
2. निविदाकारो द्वारा 1% सेवा शुल्क (न्यूनतम) की राशि (पूर्ण वेतन पर देय)निविदा में अनिवार्य रूप से दर्शायी जाना चाहिए।यह राशि (Basic+PF+ESIC)के पूर्ण वेतन पर देय होगी।
3. निविदाकार द्वारा दर्शाए गए प्रशासनिक/सेवा शुल्क के विवरण (Breakup) में यह पाया जाता है कि यह राशि(Basic+PF+ESIC) पूर्ण वेतन (Total wages) के 1% से कम है तो इस स्थिति में निविदाकार की निविदा निरस्त करने योग्य होगी। प्रशासकीय/सेवा शुल्क का उल्लेख निविदा में स्पष्ट रूप से किया जावे। दर्शाया गया यह शुल्क अनुबंध की समयावधि में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
4. प्रति माह प्रति सफाई कर्मी न्यूनतम सामग्री लागत रुपये 200/— अनिवार्य है।